न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—180 सन् 2019

संतोष कुमार सिंह व अन्य.....वादीगण

बनाम

मौजीलाल उर्फ कृष्ण कुमार सिंह वो अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 01.08.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 19.01.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र मूलवाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में विस्तुत उल्लेख कर प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे वाद किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन के जवाब में विस्तृत रूप श्रीमती सीतापति द्वारा निबंधित दानपत्र दिनांक 26.10.1956 के द्वारा वादीगण के पूर्वज फणिन्द्र सिंह उर्फ रामानंद सिंह को दे दिया जिस पर फणिन्द्र सिंह मालिक के हैसियत से दखल कब्जा में आये और उनके मरनोपरांत वादीगण के दखल कब्जा में चले आ रहा है। वादपत्र में यह भी है कि खेसरा सं0 803 के एवज में प्रतिवादीगण के पूर्वज को दूसरा प्लॉट दे दिया गया, जिसका खेसरा सं0 का उल्लेख वादपत्र में लिखने में छूट गया था, परंतु मुकदमा के अभिलेख वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण द्वारा दिए गए 03.10.2020 के आवेदन के जवाब में वादीगण ने समीलात खेसरा सं0 536, 1920 के खतियान के बाद आपसी मौखिक बंटवारा के द्वारा दखल कब्जा के आधार पर खूबलाल को मिला था जिस पर दखल कब्जा में आये और तीन पीढ़ी तक किसी ने वादीगण के खेसरा 803 पर कभी विवाद नहीं किया था। दानपत्र के जमीन

अंचलाधिकारी की ऑफिस से गलत तरीका से अपना नाम चढ़वा लिए थे जिसके अपील में भूमिसुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में पक्षकारों के बीच चला जिसमें 30.01.1999 के आदेश के द्वारा निर्णय वादीगण के पक्ष में हुआ। प्रतिवादीगण प्रस्तुत स्वत्व वाद के दौरान तकत के बल पर वादी के मुकदमा की जानकारी होने के उपरांत ताकत के बल करकटनुमा बैठका तोड़कर नया मकान बनाने का कार्य शुरू करने लगा जिसके लेकर वादीगण ने अधिवक्ता आयुक्त के नियुक्ति भी हुई और प्रतिवेदन भी आया। अधिवक्ता आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया है कि तकरारी खेसरा 803 के उत्तरी भाग के पूर्वी तरफ कुछ अंश में पीलर पर दिवाल उठाया गया है जो नया है और ईट, बालू, गिट्टी, छड़ रखा हुआ पाया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी के वादपत्र में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत वाद में संशोधन करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादपत्र में संशोधन को मंजूर कर वादपत्र में जोड़ने का आदेश दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 28.01.2021 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि वादी ने जिस तरीका को वादपत्र में संशोधन हेतु आवेदन दिया है वह कानूनन स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी ने संशोधन द्वारा वादपत्र के पाराग्राफ नं0 02 में भी यह संशोधन चाहते हैं जो जगदेव सिंह के खूट में खतियानी वो मौखिक बंटवारा से जो भी संपत्ति चंचल सिंह उर्फ चंचल राय एवं राजगीर राय जिसके बाद नावल्द मृत्यु के उपरांत जगदेव राय के खुट में सीतापित देवी जौजे चंचल राय उर्फ चंद्रदीप सिंह मालिक की हैसियत से दखल कब्जा में आती रही थी को भी संशोधन द्व ारा लाना चाहते हैं। जबकि वादपत्र में किसी भी कंडिका में जगदेव सिंह की खूंट की खतियानी वो मौखिक बंटवारे वाली बात के संबंध में चर्चा भी नहीं किया है। जिसके कारण उनका संशोधन आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है, क्योंकि वादी ये

आवेदन सिर्फ लेकुना को फुल–फील करने के दृष्टिकोण से लाई गई है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वादी का दाखिल मरम्मति आवेदन को साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी श्रीमती सीतापति द्वारा निबंधित दानपत्र दिनांक 26.10.1956 के द्वारा वादीगण के पूर्वज फणिन्द्र सिंह उर्फ रामानंद सिंह को दे दिया। जिस पर फणिन्द्र सिंह मालिक के हैसियत से दखल कब्जा में आये और उनके मरनोपरांत वादीगण के दखल कब्जा में चले आ रहा है। वादपत्र में यह भी है कि खेसरा सं0 803 के एवज में प्रतिवादीगण के पूर्वज को दूसरा प्लॉट दे दिया गया, जिसका खेसरा सं0 का उल्लेख वादपत्र में लिखने में छूट गया था। वादी की ओर से यह आवेदन अर्जीदावी में संशोधन हेतु लाया है जो सामान्य प्रकृति का है। अर्जीदावी में संशोधन होने से कोई प्रतिकूल प्राभाव नहीं पड़ता है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को 600/–रूपया खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी यदि चाहे तो उक्त आवेदन के आलोक में अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं।

वाद दिनांक 29.08.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।